रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072020-220707 CG-DL-E-27072020-220707

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप**-**खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362] No. 362] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/ श्रावण 5, 1942 NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SRAVANA 5, 1942

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2020

सा.का.िन. 466(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। उक्त धारा की उप-धारा(1) की यथा अपेक्षानुसार इसके कितपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतदद्वारा किया जाता है तथा एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि शासकीय राजपत्र की उन प्रतियों को जिनमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की अविध की समाप्ति के बाद उक्त मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा;

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उपर्युक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, श्री मदन चौरसिया, अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किए जाएं (ईमेल आईडी- madan.c@nic.in)।

3309 GI/2020 (1)

मसौदा नियम

- 1. (i) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम(केंद्रीय) संशोधन नियमावली, 2020 कहा जाएगा।
 - (ii) ये राजपत्र में इस अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 56-क में, "पाँच हजार रूपये" शब्दों के बदले "सात हजार पाँच सौ रूपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. एस-65012/01/2020-एसएस-I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियमावली के भारत का राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 22 जून, 1950 की अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. 212 द्वारा प्रकाशित किया गये था तथा अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 638 (अ),दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा पिछला संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LABOUR OF EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2020

G.S.R.466(E).—The following draft of certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 which the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Any objections or suggestions, which may be received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government;

The objections and suggestions may be addressed to Shri Madan Chaurasia, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 (Email ID- madan.c@nic.in).

DRAFT RULES

- 1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 56-A, for the words "rupees five thousand", the words "rupees seven thousand five hundred" shall be substituted.

[F.No.S-65012/01/2020-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section(i) vide notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and last amended vide notification number G.S.R. 638(E), dated the 6th September, 2019.